RAJASTHAN STATE COOPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD
4, BHAWANI SINGH ROAD JAIPUR.

Tel : 0141-2740081
Fax : 0141-2740457
E-Mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

BID

FOR

Supply of Single Super Phosphate (SSP) Powder/Granulated/Boronated /Zincated/Zincboron (Granular) F.O.R to KVSS/GSS in Rajasthan

during the year 2024-25

Estimated cost Rs. 25 Crore.

Office of the Managing Director,
Rajasthan State Cooperative Marketing Federation Ltd
4, Bhawani Singh Road, Jaipur.

महाप्रबन्धक (कृषि आदान)
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय
विक्रय संघ लि जयपुर

RAJASTHAN STATE COOPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD
4, BHAWANI SINGH ROAD JAIPUR.

Tel : 0141-2740081
Fax : 0141-2740457
E-Mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

INDEX

S.No	Particulars	Page Number
1	NIT	1-2
2	Check List	3
3	Application Form	4-5
4	Instruction for Technical Bid	6-8
5	General Instruction for Bid	9-13
6	Declaration of the bidder (Annexure "A")	14
7	Declaration of debarment (Annexure "B")	15

महाप्रबन्धक (कृषि आदान)
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय
विक्रय संघ लि जयपुर

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि0,

4–भवानी सिंह मार्ग, जयपुर

फोन : 0141-2740081
E-mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

ई–बिड सूचना संख्या राजफैड/कृषि/2024–25/2420

राजफैड के माध्यम से कृषि विभाग, राजस्थान सरकार में पंजीकृत निर्माता/विपणनकर्ता कम्पनियों से राजस्थान की क्रय विक्रय सहकारी समितियॉ को सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) एवं जैव उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व (As per specification of FCO) की एफ.ओ.आर. आपूर्ति हेतु (अनुबन्ध दिनांक से एक वर्ष के लिए) ऑन लाईन ई–बिड आमंत्रित की जाती है, जिनकी डाउनलोडिंग व अपलोडिंग की अन्तिम तिथि 17.02.2025 है। विवरण दिनांक 27.01.2025 से वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov.in, rajfed.in, sppp.rajasthan.gov.in पर देखें। संशोधन/शुद्धि पत्र भी इसी वेबसाइट पर दिया जावेगा।

प्रबन्ध निदेशक

महाप्रबन्धक (कृषि आदान)
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय
विक्रय संघ लि जयपुर

RAJASTHAN STATE COOPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD
4 BHAWANI SINGH ROAD JAIPUR.

Tel : 0141-2740081
Fax : 0141-2740457
E-Mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

BID NO. RAJFED/ AI/

On-line Bids are hereby invited by Rajasthan State Cooperative Marketing Federation Ltd, Jaipur for supply of Single Super Phosphate (SSP) (powder/granulated/boronated/zincated and zincboron (Granular) F.O.R destination basis to KVSS/GSS in Rajasthan in 2024-25 from manufacturers/marketier of single super phosphate powder/granulated/boronated/zincated and zincboron (Granular) registered with Agriculture Department, Govt.of Rajasthan:

Item No.	Description	Estimated qty	Estimated cost (Rs.in Crores)	Bid Security (Rs.in lacs)	Bid Form Cost (In Rs)	Processing Fee (In Rs)	Completion Period
1	Supply of Single Super Phosphate(Powder/Granulated/Boronated/zincated and zincboron (Granular) on FOR Destination basis (Inclusives of all taxes) to KVSS/GSS in Rajasthan	50000 MT	25.00	50.00	5900 (GST Incl.)	2500	12 months

1. Bid documents may be downloaded and uploaded on website :http:/eproc.rajasthan.gov.in
2. E-Bid processing Fee, Bid Document Fee and Bid Securty for Supply of Single Super Phosphate (Powder/Granulated/Boronated/zincated and zincboron (Granular) has to be deposited through RTGS in Account of RAJASTHAN RAJYA SAHAKARI KRAYA VIKRAYA SANGH LTD payable at Jaipur compulsorily. Scanned Copy of the RTGS Receipt has to be uploaded along with the Technical bid on ***www.eproc.rajasthan.gov.in*** and RTGS Receipt physically deposited at AI Section, RAJFED Headoffice, upto 02:00 PM on 17-02-2025 before the Opening of Technical Bid without which offer will not be considered.
   Account Name: **RAJASTHAN RAJYA SAHAKARI KRAYA VIKRAYA SANGH LTD. JAIPUR**
   Name of Bank: **State Bank of India**
   Branch:**Tilak Marg, Jaipur**
   Account No. : **61193917408**
   IFSC code: **SBIN0031510**
3. Bid security@2%mentioned in the table is for 50,000 MT, However, if the quantity offered by the bidder is for less than 50,000 MT then the bidder has to deposit bid security equivalent to 2% of the quantity offered @ Rs. 100/MT. The minimum offered quantity by a single bidder will be 10,000 MT.
4. Performance security will be 5% of work order, in which bid security will be adjusted by succesfull bidder.

महाप्रबन्धक (कृषि आदान)
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय
विक्रय संघ लि जयपुर

आवेदन पत्र के साथ तकनीकी बिड के मूल्यांकन हेतु निम्न आवश्यक प्रपत्रों की (चैक लिस्ट) सूची

क्र.सं	विवरण	ई–बीड कवर
1.	उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार में एस.एस.पी. आपूर्ति पर सबसिडी हेतु पंजीकरण की प्रमाणित प्रति जो वर्तमान में प्रभावी हो।	कवर–ए
2.	कृषि विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में एसएसपी आपूर्ति हेतु पंजीकरण का प्रमाण–पत्र एवं एस.एस.पी. उत्पादन/मार्केटिंग/विपणन हेतु वैद्य प्राधिकारपत्र जो वर्तमान में प्रभावी हो।	कवर–ए
3.	बिडर कम्पनी का एसएसपी का अद्यतन उत्पादन क्षमता का राज्य सरकार द्वारा जारी वर्तमान में प्रभावी प्रमाणपत्र।	कवर–ए
4.	वर्ष 2023–24 में कम्पनी द्वारा अनुदान पर आपूर्ति किये गये एस.एस.पी की मात्रा का वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र जो कृषि विभाग, राजस्थान द्वारा जारी किया गया हो।	कवर–ए
5.	अद्यतन जारी आयकर एवं जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा Clearance Certificate.	कवर–ए
6.	बिडर कम्पनी का पंजीकरण प्रमाण पत्र जो वर्तमान में प्रभावी हो।	कवर–ए
7.	कम्पनी द्वारा जारी ऑफर में भाग लेने हेतु अधिकृत प्रतिनिधी/अधिकारी का अथॉरिटी लेटर मय अधिकृत अधिकारी का नाम, पद, मय कार्यालय का पता एवं दूरभाष सहित।	कवर–ए
8.	फर्म को राज्य सरकार, उसके नियंत्रणाधीन समस्त राजकीय उपक्रम/स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा फर्म के साथ कारोबार/व्यवहार को प्रतिबंधित, निलम्बित अथवा दण्डित (Convicted) नहीं किया गया है, न ही ऐसा प्रकरण किसी प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन हो, के सम्बन्ध में घोषणा पत्र।	कवर–ए
9.	बिड सिक्यूरिटी, टेण्डर फार्म कोस्ट एवं प्रोसेसिंग फीस के राजफैड बैंक खाते में जमा कराने की रसीद की स्कैण्ड प्रतियाँ।	कवर–ए
10.	वित्तीय बिड/बी.ओ.क्यू.	कवर–बी

महाप्रबन्धक (कृषि आदान)
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय
विक्रय संघ लि जयपुर

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि0,
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर

फोन नं. 0141–2740081
फैक्स नं. 0141–2740457
E-mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

आवेदन प्रपत्र

कार्य का नाम : वर्ष 2024–25 (अनुबन्ध दिनांक से एक वर्ष के लिए) में कृषि विभाग, राजस्थान में पंजीकृत निर्माता / विपणनकर्ता कम्पनियों से राजफैड के माध्यम से राज्य की क्रय विक्रय सहकारी समितियॉ / ग्राम सेवा सहकारी समितियॉ को सिंगल सुपर फॉस्फेट (पाउडर / दानेदार / बोरोनेटेड / जिंकेटेड एवं जिंक बोरोन (दानेदार) एफ.ओ.आर. (समस्त कर सहित) आपूर्ति हेतु ऑन लाईन ई–बिड :

1. फर्म का नाम एवं पूर्ण पता
2. उत्पादन स्थल फैक्ट्री का पूर्ण पता
3. दूरभाष / मोबाइल नंबर
4. फैक्स नंबर
5. वेब साइट
6. ई–मेल आई.डी.
7. निविदा कार्य संपादन हेतु : ....

   प्राधिकृत व्यक्ति का नाम व पता ....

   इस आशय के प्रमाणित प्रस्ताव सहित..
8. दूरभाष नं. ....

महाप्रबन्धक (कृषि आदान)
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय
विक्रय संघ लि जयपुर

9. फर्म की एसएसपी अद्यतन उत्पादन क्षमता का विवरण ....

10. फर्म द्वारा राजफैड को ऑफर की गयी एसएसपी की मात्रा ....

11. वित्तीय बिड् में वर्णित क्षेत्रीय कार्यालय व जिलेवार KVSS/GSS F.O.R. Destination पर पाउडर / दानेदार / बोरोनेटेड / जिंकेटेड एवं जिंक बोरोन (दानेदार) एसएसपी आपूर्ति जिनमें लोडिंग– अनलोडिंग चार्जेज, जी.एस.टी. एवं अन्य सभी प्रकार के कर समाहित है, के लिए फर्म द्वारा अंकित की गई प्रति मै.टन की दरों पर आपूर्ति करने के लिए फर्म बाध्य है ।

12. राजफैड द्वारा आदेश जारी होने की दिनांक से निर्धारित अवधि (फाईनेन्शियल बिड की शर्त संख्या 4 अनुसार) में निर्देशित स्थान पर वांछित मात्रा में एसएसपी की आपूर्ति की जावेगी। इस अवधि में सम्प्रेषण समय भी सम्मिलित हैं।

13. निविदा एवं संविदा में वर्णित समस्त शर्तें स्वीकार्य है।

14. निविदा के साथ बोली की शर्त संख्या 8 अनुसार वांछित समस्त आवश्यक दस्तावेज sppp.rajasthan.gov.in अपलोड कर दिये गये है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मुहर

महाप्रबन्धक (कृषि आदान)
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय
विक्रय संघ लि जयपुर

राजस्थान राज्य सहकारी कय विकय संघ लि0,
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर
फोन नं. 0141–2740081
फैक्स नं. 0141–2740457
E-mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

तकनीकी बिड् हेतु निर्देश

कार्य का नाम : वर्ष 2024–25 (अनुबन्ध दिनांक से एक वर्ष के लिए) में कृषि विभाग, राजस्थान में पंजीकृत निर्माता/विपणनकर्ता कम्पनियों से सिंगल सुपर फॉस्फेट (पाउडर/दानेदार/बोरोनेटेड/जिंकेटेड एवं जिंक बोरोन (दानेदार) की राजस्थान की क्र.वि.स.स./ग्रा.से.स.स. में एफ.ओ.आर डेस्टिनेशन (समस्त कर सहित) आपूर्ति हेतु।

नियोक्ता का नाम : प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी कय विकय संघ लि0, जयपुर

1. **बोली का विस्तृत विवरण :**

कार्य का विवरण : वर्ष 2024–25 (अनुबन्ध दिनांक से एक वर्ष के लिए) में कृषि विभाग, राजस्थान में पंजीकृत निर्माता/विपणनकर्ता कम्पनियों से सिंगल सुपर फॉस्फेट (पाउडर/दानेदार/बोरोनेटेड/जिंकेटेड एवं जिंक बोरोन (दानेदार) की राजस्थान की क्र.वि.स.स./ग्रा.से.स.स. में एफ.ओ.आर डेस्टिनेशन (समस्त कर सहित) आपूर्ति हेतु।

क्र.सं.	मद	विवरण
1	कार्य की अनुमानित लागत	25 करोड रू.
2	बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security @2% of/CV)	अधिकतम 50.00 लाख रू.
3	अनुमानित मात्रा	50,000 मै.टन
4	बोली दस्तावेज शुल्क	5,900 रू.(GST Incl.)
5	प्रोसेसिंग फीस	2,500 रू.
6	कार्यावधि	12 माह
7	बोली दस्तावेज डाउनलोडिंग अवधि	दिनांक 27.01.2025 को सायं 05:00 बजे से
8	बोली दस्तावेज अपलोडिंग की अन्तिम तिथि	दिनांक 17.02.2025 को अपरान्ह 12:30 बजे तक
9	तकनीकी बिड् खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 17.02.2025 को अपरान्ह 03:00 बजे
10	तकनीकी बिड् खोलने का स्थान	राजफैड मुख्यालय, 4, भवानीसिंह रोड, जयपुर
11	कार्यादेश जारी करने का संभावित माह वित्तीय बिड की तिथि से	तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त बिडर्स को पृथक से सूचित किया जावेगा
12	बोली की वैद्यता	तकनीकी बिड खोलने के 180 दिवस तक

महाप्रबन्धक (कृषि आदान)
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय
विक्रय संघ लि. जयपुर

2. **आवेदन पत्र की प्रस्तुति :**

- यह ऑनलाइन ई–बोली प्रक्रिया दो लिफाफा पद्धत्ति पर आधारित होगी, प्रथम लिफाफे अंतर्गत तकनीकी बिड् प्रपत्र एवं बोली हेतु क्रम संख्या 3 के अनुसार वांछित भुगतान प्रमाण की स्कैण्ड प्रतियॉ एवं सामान्य निर्देशों के क्रम संख्या 8 पर अंकित दस्तावेजों की स्केण्ड कॉपियां तथा वित्तीय बिड द्वितीय लिफाफे अंतर्गत Online BOQ अपलोड किये जावेंगे।
- बिड् हेतु वांछित समस्त आवश्यक सूचनाएॅ एवं वे समस्त दस्तावेज बोली लगाने वाली फर्म द्वारा प्रस्तुत किये जावें, जो बोली की योग्यता के निर्धारण हेतु आवश्यक हों, के अभाव में असफल घोषित कर दिया जावेगा ।
- बोली लगाने वाले द्वारा सही एवं सत्य सूचनाएॅ उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा, अन्यथा बोली निरस्त कर दी जावेगी।
- तकनीकी बिड् मूल्यांकन में सफल रहे बोली लगाने वाले की ही वित्तीय बिड् खोली जावेगी ।

3. **शुल्क विवरण :**

- बोली दस्तावेज शुल्क राशि रू0 5,900/–(GST Applicable Incl.)एवं प्रोसेसिंग फीस 2500 रू. का भुगतान राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि0 के वर्णित खाते में आरटीजीएस द्वारा किया जावेगा ।
- एसएसपी 50000 मै.टन की अनुमानित लागत राशि की बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security) (अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत) राशि रू0 50.00 लाख रू. है। यदि बोलीदाता द्वारा 50000 मै.टन एसएसपी आपूर्ति हेतु बोली प्रस्तुत की जाती है तो 50.00 लाख रू. की बोली प्रतिभूति राशि का का भुगतान राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि0 के वर्णित बैंक खाते मेंआरटीजीएस द्वारा किया जावेगा। बोलीदाता द्वारा न्यूनतम 10000 मै.टन एसएसपी की ऑफर दी जानी होगी जिस हेतु बोली प्रतिभूति राशि ऑफर की गयी मात्रा का 2 प्रतिशत (100 रू. प्रति मै.टन) रहेगी जिसका भुगतान बोलीदाता द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि0 के नाम से जयपुर में देय आरटीजीएस द्वारा किया जावेगा। एसएसपी की अनुमानित मात्रा में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है, जो ई–बोली लगाने वालों को स्वीकार्य होगी। यदि एक से अधिक बोलीदाता की दर प्रथम न्यूनतम रहती है तो कुल मात्रा को अनुपातिक आधार पर प्रथम न्यूनतम बोलीदाताओं में बॉटा जावेगा एवं बिड सिक्यूरिटी राशि भी अनुपातिक आधार पर रखते हुये शेष राशि वापस लौटा दी जावेगी। सफल बिडदाता को कार्य निष्पादन प्रतिभूति दिए गए सप्लाई आदेश की 5 प्रतिशत होगी, जिसमें बोली प्रतिभूति का समायोजन किया जाएगा।

4. **योग्यता निर्धारण :**

- एसएसपी आपूर्ति हेतु ऑफर में केवल एस.एस.पी. उत्पादक या भारत सरकार, रसायन उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग, नई दिल्ली के दिशा निर्देश क्रमांक 23011/1/2010–एमपीआर दिनांक 21.04.2010 द्वारा वर्ष 2010–11 में माह मई, 2010 से मार्च, 2011 तक जारी विपणन अनुमति के आधार पर जारी प्राधिकारपत्र होना आवश्यक है।
- एसएसपी आपूर्तिकर्ता कम्पनी का उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार से एस.एस.पी. आपूर्ति पर अनुदान प्राप्त करने हेतु पंजीकरण आवश्यक है।
- कृषि विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में एसएसपी आपूर्ति हेतु पंजीकरण का प्रमाण–पत्र एवं एस.एस.पी. उत्पादन/मार्केटिंग हेतु वैद्य प्राधिकारपत्र आवश्यक है।
- एस.एस.पी. उर्वरक निर्माता/विपणनकर्ता को उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के अन्तर्गत उर्वरक के प्रत्येक बैग पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) तथा क्वालिटी सर्टीफाईड की सील अंकित करने के साथ–साथ तत्व आधारित अनुदान (एनबीएस) का स्पष्ट रूप से अंकन किया जाना आवश्यक है तथा अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

महाप्रबन्धक (कृषि आदान)
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय
विक्रय संघ लि. जयपुर

- निविदादाता को पूर्व में किये कार्य के लिए राजफैड सहित किसी भी लोक प्राधिकारी के द्वारा दण्डित/डिबार ना किया हो और इसके अतिरिक्त यदि उसके विरूद्व निविदा संबंधी किसी भी अनियमितता, जॉच या न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है या वह दोषसिद्ध हो चुका तो ऐसा निविदादाता आरम्भत अयोग्य माना जावेगा और बिड में भाग नहीं ले सकेगा। यदि यह तथ्य बिड प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय किसी भी प्राधिकारी के संज्ञान में आता है तो उसी स्तर पर संबंधित की बिड निरस्त मानी जावेगी एवं ऐसी निविदादाता के विरूद्ध आरटीपीपी एक्ट के नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
- सहउद्यम की दशा में वे राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 में वर्णित संबंधित प्रावधानों की पालना होने पर ही लागू होंगे ।
- आपूर्ति किये जाने वाले एसएसपी की गुणवत्ता फर्टिलाईजर कंट्रोल एक्ट 1985 के अनुसार होगी।
- बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियो को अस्वीकार करने का राजफैड का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- राजफैड परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण या अन्यथा कारण उपापन की कोई विषय वस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिणाम से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला किसी भी दावे या प्रतिकार का हकदार नहीं होगा।
- बोली लगाने वाले की स्वंय की यह जिम्मेदारी होगी कि वे बोलियों में वर्णित उन समस्त आपूर्ति स्थलों एवं आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण व विश्लेषण स्वंय जाकर करें तदुपरान्त ही बोली प्रक्रिया में भाग लेना सुनिश्चित करें ।

महाप्रबन्धक (कृषि आदान)
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय
विक्रय संघ लि जयपुर

राजस्थान राज्य सहकारी कय विकय संघ लि0,
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर

फोन नं. 0141–2740081
फैक्स नं. 0141–2740457
E-mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

बोली हेतु सामान्य निर्देश एवं शर्ते

1. ई–बोली में भाग लेने की इच्छुक फर्म का अधिकृत वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov.in पर पंजीबद्ध होना आवश्यक है। सूचना एवं प्रोद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अनुसार बोली लगाने वाली फर्म के लिए Digital Signature Certificate अनिवार्य है, जो अनुमोदित प्रमाणीकरण संस्था यथा TCS, safecrypt, Ncode etc. से प्राप्त किया जा सकता है । अधिक जानकारी अथवा अन्य सहायता हेतु किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सांय 06.00 बजे के मध्य e-Procurement Cell, RISL में उनके योजना भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर स्थित कार्यालय में अथवा toll free Phone No.1800–3070–2232 (any time) पर सम्पर्क कर सकते है ।
2. बोली लगाने वाली फर्म के ऑनलाइन बोली के प्रशिक्षणार्थ e-Procurement Cell, RISLमें उनके योजना भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर स्थित कार्यालय में नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है, इच्छुक बोली लगाने वाले वहॉ सम्पर्क कर सकते है।
3. सशर्त बोली मान्य नहीं होगी ।
4. बोली लगाने वाले आरटीजीएस (बिन्दु संख्या 12 में वर्णित अनुसार) के अतिरिक्त बोली से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के दस्तावेज व्यक्तिशः राजफैड कार्यालय में प्रस्तुत नहीं करें ।
5. तकनीकी बिड में सफल रहे बोली लगाने वालों की ही वित्तीय बिड् राजफैड कार्यालय में खोली जावेगी, जिसकी सूचना उन्हें पृथक से दी जाकर/विभागीय वेबसाइट सहित website:- http:/eproc.rajasthan.gov.in, rajfed.in, sppp.rajasthan.gov.in पर भी प्रदर्शित।
6. एसएसपी की अनुमानित मात्रा में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है, जो सभी ई–बोली लगाने वालों को स्वीकार्य होगी। यदि एक से अधिक बोलीदाता की दर प्रथम न्यूनतम रहती है तो कुल मात्रा को अनुपातिक आधार पर प्रथम न्यूनतम बोलीदाताओं में बॉटा जा सकेगा एवं तद्नुसार ही बिड सिक्यूरिटी राशि भी अनुपातिक आधार पर ली जावेगी।
7. किसी भी बोली या समस्त बोलियों को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार राजफैड के प्रबन्ध निदेशक को होगा।
8. बोली के साथ निम्नांकित दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक है, इनके अभाव में बोलियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा :–

   (i) उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार में एस.एस.पी. आपूर्ति पर सबसिडी हेतु पंजीकरण की प्रमाणित प्रति जो वर्तमान में प्रभावी हो।
   (ii) कृषि विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में एसएसपी आपूर्ति हेतु पंजीकरण का प्रमाण–पत्र एवं एस.एस.पी. उत्पादन/मार्केटिंग/विपणन हेतु वैद्य प्राधिकारपत्र जो वर्तमान में प्रभावी हो।
   (iii) बिडर कम्पनी का एसएसपी का अद्यतन उत्पादन क्षमता का राज्य सरकार द्वारा जारी वर्तमान में प्रभावी प्रमाणपत्र।
   (iv) वर्ष 2023–24 में कम्पनी द्वारा अनुदान पर आपूर्ति किये गये एस.एस.पी की मात्रा का वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र जो कृषि विभाग द्वारा जारी किया गया हो।

प्रबन्धक (कृषि आदान)
राजस्थान राज्य सहकारी कय
विकय संघ लि जयपुर

(v) अद्यतन जारी आयकर एवं जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा Clearance Certificate.

(vi) बिडर कम्पनी का पंजीकरण प्रमाण पत्र जो वर्तमान में प्रभावी हो।

(vii) कम्पनी द्वारा जारी ऑफर में भाग लेने हेतु अधिकृत प्रतिनिधी/अधिकारी का अथॉरिटी लेटर मय अधिकृत अधिकारी का नाम, पद, मय कार्यालय का पता एवं दूरभाष सहित।

(viii) फर्म को राज्य सरकार, उसके नियंत्रणाधीन समस्त राजकीय उपक्रम/स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा फर्म के साथ कारोबार/व्यबहार को प्रतिबंधित, निलम्बित अथवा दण्डित नहीं किया गया है, न ही ऐसा प्रकरण किसी प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन हो, के सम्बन्ध में घोषणा पत्र (प्रपत्र संलग्न)।

(ix) बिड सिक्यूरिटी, टेण्डर फार्म कोस्ट एवं प्रोसेसिंग फीस के राजफैड बैंक खाते में जमा कराने की रसीद की स्कैण्ड प्रतियाँ।

9. वित्तीय बोली प्रपत्र में प्रति मै.टन दरें, जी.एस.टी. सहित एवं एफ.ओ.आर. डस्टीनेशन सहित अंको व शब्दों में अंकित करनी होगी।

10. बोली प्रपत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में ही भरा जावें।

11. किसी भी लोक प्राधिकारी द्वारा दण्डित फर्म बोली में भाग लेने के लिए आरम्भतः अयोग्य (Disqualified) होगी। इसके अतिरिक्त जिन एसएसपी निर्माता/विपणनकर्ता फर्मों द्वारा शर्तों की पालना नहीं करने के कारण राजफैड द्वारा पूर्व में डिफाल्टर घोषित किया जाकर उनकी बोली प्रतिभूति राशि जब्त की गई हो या अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की गयी हो अथवा विचाराधीन हो, ऐसी फर्म्स भी इस बोली में भाग लेने हेतु आरम्भतः अयोग्य होंगी तथा ऐसी फर्म से प्राप्त बोली पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।

12. बोली दस्तावेज शुल्क, प्रोसेसिंग फीस, प्रतिभूति राशि का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से करना होगा आरटीजीएस की स्केन कॉपी बोली के साथ अपलोड करनी होगी तथा इनके मूल रसीद दिनांक 17.02.2025 को अपरान्ह 02:00 बजे तक राजफैड मुख्यालय में व्यक्तिशः जमा कराना सुनिश्चित करें, इनके अभाव में बिड स्वीकार्य नहीं होगी।

13. बोली लगाने वाली फर्म के गठन के स्वरूप व प्रमोटर्स आदि बाबत पूर्व में किये गये परिवर्तन सहित कालान्तर में (अनुबन्ध अवधि) में किये जाने वाले किसी भी परिवर्तन की सूचना फर्म द्वारा राजफैड कार्यालय को 07 दिवस में आवश्यक रूप से देनी होगी तथा ऐसे परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से मूल फर्म को मुक्त नहीं किया जायेगा।

14. बिडर कम्पनी/बोली लगाने वाला अपनी बोली अथवा उसके किसी भाग को ना तो किसी अन्य एजेन्सी को सौंप सकेगा और न ही सबलेट कर सकेगा।

15. अनुमोदित कम्पनी द्वारा राजफैड/समिति को वांछित मात्रा में एवं बताये गये स्थानों पर सिंगल सुपर फॉस्फेट 16% पी2ओ5 उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत सप्लाई किया जावेगा तथा डिस्पेच के पूर्व कृषि विभाग द्वारा आहरित सेम्पल टेस्ट पश्चात् गुणवत्ता के मापदण्डो के अनुरूप सही पाये जाने पर ही एस.एस.पी. की आपूर्ति की जावेगी। आपूर्तित एस. एस.पी. की गुणवत्ता की समस्त जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता कम्पनी की होगी।

16. कृषि विभाग द्वारा समिति/फैक्ट्री एवं फील्ड से लिये गये एस.एस.पी. खाद के नमूनें को यदि अमानक घोषित कर दिया जाता है तो उसके लिये फर्म पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी। इस संबंध में यदि किसी समिति/राजफैड के खिलाफ न्यायालय में किसी प्रकार का वाद प्रस्तुत किया जाता है तो उस वाद में समिति/राजफैड द्वारा किये गये समस्त व्यय का भुगतान संबंधित आपूर्तिकर्ता बिडर/कम्पनी द्वारा वहन किया जावेगा। आपूर्तिकर्ता बिडर/कम्पनी द्वारा राजफैड को इस बाबत क्षतिपूर्ति बंध पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

17. एस.एस.पी. उर्वरक निर्माता/विपणनकर्ता को उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के अन्तर्गत उर्वरक के प्रत्येक बैग पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) तथा क्वालिटी सर्टीफाईड की सील अंकित करने के साथ-साथ तत्व आधारित अनुदान (एनबीएस) का स्पष्ट रूप से अंकन किया जाना आवश्यक है तथा अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

18. निविदा शर्तो के साथ आरटीपीपी एक्ट 2012, आरटीपीपी 2013 के नियम/प्रावधान भी लागू होंगे।

19. फर्म द्वारा केवीएसएस/जीएसएस को एसएसपी विक्रय के तीन माह तक यदि विक्रय नही होता है तो बिल की तारीख से एक वर्ष के अन्दर भुगतान करना आवश्यक होगा। वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात् समिति को की गयी वार्षिक आपूर्ति का निपटारा कराया जावे अन्यथा भविष्य में भुगतान किया जाना संभव नही होगा।

महाप्रबन्धक (कृषि आदान)
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि. जयपुर

20. चारों प्रकार की एसएसपी यथा पाउडर/दानेदार/बोरोनेटेड/जिंकेटेड एवं जिंक बोरोन (दानेदार) की दरों का अंकन वित्तीय बिड् में शब्दों एवं अंको में अनिवार्यतः किया जावें, दोनों में अन्तर पाये जाने पर शब्दों में अंकित दर सही मानी जावेगी।
21. बोली में अंकित दरें प्रति मै.टन एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन सभी करों सहित होनी चाहिये। राजफैड द्वारा उक्त स्वीकृत दर के अतिरिक्त फर्म को अन्य किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा।
22. बोली लगाने वाली फर्म जिसकी बोली स्वीकार की गई है, उसे राजफैड का पत्र प्राप्त होने के 10 दिवस में निर्धारित प्रारूप में संविदा पत्र राजफैड के साथ निष्पादित करना होगा।
23. प्रत्येक कम्पनी को राजफैड द्वारा आपूर्ति हेतु दिये गये आदेश की दिनांक से सात दिवस के अन्दर एस.एस.पी. की आपूर्ति करनी होगी। यदि कम्पनी द्वारा एस.एस.पी. आपूर्ति के दिये गये आदेशों के विरूद्ध सात दिवस में आपूर्ति नहीं की जाती है तो निम्न स्लेब अनुसार कम्पनी द्वारा एसएसपी की विलम्बित आपूर्ति के मूल्य में से पेनल्टी क्षतिपूर्ती राशि की कटौति की जावेगी :-

1. आदेश दिनांक से 7 दिवस तक	–
2. आदेश दिनांक से 1/4 अवधि विलम्ब पर	2.5 प्रतिशत
3. आदेश दिनांक से 1/4 से अधिक आधी अवधि तक	5 प्रतिशत
4. आदेश दिनांक से आधी अवधि से अधिक 3/4 अवधि तक विलम्ब पर	7.5 प्रतिशत
5. आदेश दिनांक अवधि 3/4 से अधिक अवधि तक विलम्ब पर	10 प्रतिशत

विशेष परिस्थिति यथा कोविड महामारी/उर्वरकों की अधिक मांग/ट्रांसपोर्टर हडताल एवं अन्य विशेष परिस्थितियों में जो अनुमोदित बिड दाता के नियंत्रण परे हो, ऐसी कठिनाई की पूर्व सूचना व सक्षम स्तर पर इसकी पूर्व अनुमति से आपूर्ति अवधि व परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति में छूट देय होगी।
24. एस.एस.पी. आपूर्ति के आदेश राजफैड मुख्यालय, जयपुर द्वारा समितियों की मॉग के अनुरूप संबंधित कम्पनियों को दिये जावेगें। क्षेत्रीय कार्यालयों/समितियों द्वारा एसएसपी आपूर्ति हेतु मॉग राजफैड मुख्यालय को कम से कम 10 दिवस पूर्व भिजवायी जावेगी।
25. आपूर्तिकर्ता कम्पनी को राजफैड द्वारा एस.एस.पी. आपूर्ति की राशि का भुगतान संबंधित समितियों से प्राप्त होने के पश्चात् किया जावेगा। क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा एसएसपी की राशि का सम्पूर्ण भुगतान मुख्यालय को भिजवाया जावेगा एवं उक्त राशि में से कार्यालय खर्च सहित अन्य किसी कारण हेतु कोई राशि नहीं रोकी जावेगी। खाद राशि के भुगतान हेतु आपूर्तिकर्ता कम्पनीयों द्वारा निम्न सूचनायें/प्रपत्र संलग्न किये जाने होंगेः-
    1. बिलों में समस्त छूटों का इन्द्राज किया जाना आवश्यक होगा।
    2. बिलों के साथ समितियों को माल के सही हालत में कार्यादेश की निर्धारित अवधि में प्राप्त होने संबंधी सूचना/पुष्टी पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
    3. बिल के साथ राजफैड में आपूर्ति किये गये एसएसपी की बैचवाईज कृषि विभाग द्वारा आहरित सेम्पल टेस्ट गुणवत्ता रिपोर्ट संलग्न की जावेगी।
    4. राजफैड की अनुमोदित दर से कम दर पर राज्य में किसी भी एजेन्ट/डीलर को एस.एस.पी. की आपूर्ति नहीं गयी है, इस आशय का प्रमाण पत्र फर्म द्वारा प्रत्येक बिल पर देना होगा।
    5. एसएसपी की पोस/स्टॉक रजिस्टर की एन्ट्री बिल के साथ संलग्न की जावेगी।
26. अनुमोदित अनुबन्धकर्ता कम्पनी द्वारा सहकारी/सरकारी क्षेत्र एवं समितियों को राजफैड के माध्यम से ही एसएसपी की आपूर्ति की जावेगी। किसी कम्पनी द्वारा सीधे समितियों को एस.एस. पी. की आपूर्ति नहीं की जावेगी। यदि किसी कम्पनी द्वारा ऐसा न करते हुये समिति को राजफैड माध्यम के बिना सीधी आपूर्ति की जाती है तो उस आपूर्तित मात्रा का भुगतान राजफैड स्तर से नहीं किया जावेगा साथ ही उस कम्पनी से किये गये अनुबन्ध को समाप्त करने सहित, पेनल्टी या अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

महाप्रबन्धक (कृषि आदान)
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि जयपुर

27. आपूर्तिकर्ता कम्पनी द्वारा राजफैड की अनुमोदित दरों से कम दरों पर खुले बाजार में अथवा एजेन्ट/डीलर को एस.एस.पी. का विक्रय नहीं किया जावेगा तथा इस आशय का प्रमाण पत्र उनके द्वारा प्रत्येक बिल के साथ दिया जावेगा। यदि कम्पनी द्वारा राजफैड द्वारा अनुमोदित दरों से कम दरों पर खुले बाजार में अथवा ऐजेन्ट/डीलर को एस.एस.पी. का विक्रय करना पाया गया तो कम्पनी को उस घटी हुई दर के हिसाब से ही राजफैड द्वारा भुगतान किया जावेगा व अनुबन्ध भंग के लिये उचित कार्यवाही भी की जावेगी। यदि आपूर्तिकर्ता द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा अन्यथा रूप से दरें कम की जाती है तो घटी हुई दरो की सूचना कम्पनी/फर्म तुरन्त राजफैड को उपलब्ध करवायेगी। यदि कम्पनी/फर्म स्वतः ही इसकी सूचना नही देती है व ऐसा प्रकरण कालान्तर में राजफैड के ध्यान में लाया जाता है कि राजफैड से अनुबन्धित कर से कम दर पर एस.एस.पी आपूर्ति की गई है तो उस कम्पनी के माध्यम से किये जा रहे व्यवसाय को समाप्त करने सहित नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी एवं जमा अमानत/सुरक्षा राशि जब्त कर ली जावेगी।

28. कम्पनी द्वारा राजफैड/समितिको वांछित मात्रा में एवं बताये गये स्थानों पर सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) (16%P2 O5(NACS),14.5% P2 O5(WS) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत सप्लाई किया जावेगा तथा डिस्पेच के पूर्व राजफैड को आपूर्ति किये जाने वाले एसएसपी के कृषि विभाग द्वारा बैचवाईज सैम्पल नियमानुसार आहरित करवाये जाएंगे तथा जॉच के पश्चात् गुणवत्ता के मापदण्डो के अनुरूप सही पाये जाने पर ही एस.एस.पी. की आपूर्ति क्षेत्र में आपूर्तिकर्ता कम्पनी द्वारा की जावेगी। समिति स्तर व क्षेत्र में आपूर्तित एस.एस.पी. की गुणवत्ता की समस्त जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता कम्पनी की होगी। कृषि विभाग की उक्त जॉच रिपोर्ट बिल के साथ संलग्न की जावेगी।

29. कृषि विभाग द्वारा समिति/फैक्ट्री एवं फील्ड से लिये गये एस.एस.पी. खाद के नमूनें को यदि अमानक घोषित कर दिया जाता है तो उसके लिये फर्म पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी। इस संबंध में यदि किसी समिति/राजफैड के खिलाफ न्यायालय में किसी प्रकार का वाद प्रस्तुत किया जाता है तो उस वाद में समिति/राजफैड द्वारा किये गये समस्त व्यय (मुकदमा व्यय, यात्रा व्यय आदि) का भुगतान संबंधित कम्पनी द्वारा वहन किया जावेगा।

30. एस.एस.पी. की आपूर्ति 50 किग्रा पैकिंग में नये एच.डी.पी.ई. बैग में की जावेगी। क्षतिग्रस्त एवं कटे फटे थैलों में जमा हुआ एवं ढेले वाला एस.एस.पी. किसी भी स्थिति में समितियों द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा।

31. बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security) निम्न मामलों में जब्त करने का राजफैड को पूर्ण अधिकार होगा :–

(i) यदि बोली लगाने वाली फर्म की बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकृत करने से पूर्व बोली लगाने वाली फर्म प्रस्ताव वापस लेती है, या उसमें परिवर्तन प्रस्तावित करती है।

(ii) यदि बोली लगाने वाली फर्म/बोलीदाता निर्धारित समयावधि में संविदा पत्र निष्पादित करने में असफल रहती है।

(iii) बोली लगाने वाली फर्म द्वारा बोली के साथ गलत/असत्य तथ्य/दस्तावेज प्रस्तुत करने की स्थिति में।

(iv) कम्पनी द्वारा सहकारी/सरकारी क्षेत्र एवं समितियों को राजफैड के माध्यम के अतिरिक्त सीधे ही आपूर्ति किये जाने की स्थिति में।

(v) राजफैड की स्वीकृत दरों से कम दरों पर बाजार में अथवा एजेन्ट/डीलर को एसएसपी आपूर्ति किये जाने की स्थिति में।

32. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पुर्नभुगतान वित्तीय वर्ष/संविदा अवधि की समाप्ति व कार्य के संतुष्टि पूर्ण होने व कोई वसूली न होने पर किया जावेगा तथा इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

33. एसएसपी आपूर्ति करने में उत्पन्न बाधा यदि बोली लगाने वाली फर्म के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तथा सप्लाई अवधि समाप्ति से पूर्व राजफैड को इस बाबत सूचित कर दिया गया हो तो आपूर्ति की अवधि में परिनिर्धारित क्षति को क्षति–रहित करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार राजफैड के प्रबन्ध निदेशक को होगा।

महाप्रबन्धक (कृषि आदान)
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय
विक्रय संघ लि. जयपुर

34. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विशेष परिस्थिति में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से इन्हीं शर्तो एवं अनुमोदित दरों पर संविदा अवधि में अभिवृद्धि की जा सकेगी।
35. प्रथम अपिलीय अधिकारी प्रबन्ध निदेशक द्वारा नाम निर्देशित अधिकारी / महाप्रबन्धक।
36. द्वितीय अपिलीय प्राधिकारी प्रबंध निदेशक, राजफैड होगे।
37. किसी भी प्रकार के मतभेद उत्पन्न होने पर प्रबन्ध निदेशक, राजफैड का निर्णय अंतिम होगा जो कि दोनों पक्षों को मान्य होगा।
38. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र केवल जयपुर होगा।

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर मय मुहर

महाप्रबन्धक (कृषि आदान
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय
विक्रय संघ लि जयपुर

Annexure – "A"

Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in procurement process shall –

a. not offer any bride, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
b. not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
c. not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
d. not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
e. not indulge in any coercion including imapairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
f. not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
g. disclose conflict of interest, if any; and
h. disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. Have controlling partners/shareholders in common; or
b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. Have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or
e. The Bidder participates in more than one Bid in bidding process. Participation by a Bidder in mote than one bid with result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. The bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, works or services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

महाप्रबन्धक (कृषि आदान)
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय
विक्रय संघ लि जयपुर

Annexure "B"

DECLARATION BY THE BIDDER

In relation to my/our Bid submitted to Rajasthan State Cooperative Marketing Federation Ltd Jaipur (RAJFED) For supply of Single Super Phosphate (SSP) powder/granulated/boronated/zincated and zincboron (Granular) F.O.R. to KVSS/GSS in Rajasthan **(As per specification of FCO 1985 Notified via S.O. 2475 (E) dated 16.08.2013)** FOR to KVSS/GSS in Rajasthan in response to their Notice Inviting Bids No ---------- dated................. I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity ;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay any such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons ".
4. I/We do not have, and our Directors and Officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our qualification to enter into a procurement contract within a period of three year preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings ;
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Documents, which, materially affects fair competition;
6. I/We have visited the supply sites and fully acquainted myself/ourselves with the local situation regarding materials, labour and other factors pertaining to the work before submitting the tender of RAJFED regarding supply of Single Super Phosphate (SSP) powder/granulated/boronated/zincated and zincboron (Granular) (As per specification of FCO 1985 Notified via S.O. 2475 (E) dated 16.08.2013) FOR to KVSS/GSS in Rajasthan.
7. I/We have carefully studied the instructions, conditions of contract and other documents of this work and I/We agree to execute the work accordingly.

Date:	Signature of Bidder :
Place:	Name :
	Designation :
	Address :

महाप्रबन्धक (कृषि आदान)
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय
विक्रय संघ लि जयपुर

(Cover-B)

RAJASTHAN STATE COOPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD
4 BHAWANI SINGH ROAD JAIPUR.

Tel : 0141-2740081
Fax : 0141-2740457
E-Mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

FINANICAL BID (BOQ)

FOR

Supply of Single Super Phosphate (SSP) powder /granulated/boronated/ zinceted and zincboron (Granular) F.O.R to KVSS/GSS in Rajasthan

during the year 2024-25

Estimated cost Rs. 25.00 Crores

Office of the Managing Director,
Rajasthan State Cooperative Marketing Federation Ltd
4, Bhawani Singh Road, Jaipur.

महाप्रबन्धक (कृषि आदान)
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय
विक्रय संघ लि जयपुर

RAJASTHAN STATE COOPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD
4 BHAWANI SINGH ROAD JAIPUR.

Tel : 0141-2740081
Fax : 0141-2740457
E-Mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

INDEX

S.No	Particulars	Page Number
1	Finanical BID/BOQ	01-07

महाप्रबन्धक (कृषि आदान)
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय
विक्रय संघ लि जयपुर

(Cover-B)
(1)

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि0,
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर

फोन नं. 0141–2740081
फैक्स नं. 0141–2740457
E-mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

FINANICAL BID/BOQ

वर्ष 2024–25 (अनुबन्ध दिनांक से एक वर्ष के लिए) में राजफैड के माध्यम से राज्य की क्रय विक्रय सहकारी समितियॉ/ग्राम सेवा सहकारी समितियॉ को **सिंगल सुपर फॉस्फेट (पाउडर)** की एफ.ओ. आर. आपूर्ति हेतु प्रति मै.टन की दर :–

दर रू. प्रति मै.टन

क्र. सं.	राजफैड क्षेत्रीय कार्यालय	जिला	बिलिंग दर (एफ.ओ.आर. समस्त कर सहित)
एमआरपी दर (सम्पूर्ण राजस्थान के लिये)			
1	अजमेर	अजमेर, ब्यावर, भीलवाडा, डीडवाना–कुचामन, नागौर	
2	भरतपुर	अलवर, धौलपुर, भरतपुर, डीग, करौली, खैरथल–तिजारा, सवाईमाधोपुर	
3	बीकानेर	बीकानेर, चूरू	
4	जयपुर	जयपुर, दौसा, टोंक, सीकर, कोटपूतली–बहरोड़, झुन्झुनूँ	
5	जोधपुर	जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी, बालोतरा	
6	कोटा	कोटा, बांरा, झालावाड़, बून्दी	
7	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़	
8	उदयपुर	उदयपुर, राजसमन्द, डूॅगरपुर, बांसवाडा, चित्तौडगढ़, प्रतापगढ़, सलुम्बर	

1. ऑफ सीजन डिस्काउन्ट रू. प्रति मै.टन माहवार
2. राजफैड को देय अन्य छूट

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर मय मुहर

महाप्रबन्धक (कृषि आदान)
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय
विक्रय संघ लि जयपुर

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि0,
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर

फोन नं. 0141–2740081
फैक्स नं. 0141–2740457
E-mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

FINANICAL BID/BOQ

वर्ष 2024–25 (अनुबन्ध दिनांक से एक वर्ष के लिए) में राजफैड के माध्यम से राज्य की क्रय विक्रय सहकारी समितियॉं/ग्राम सेवा सहकारी समितियॉं को **सिंगल सुपर फॉस्फेट (दानेदार)** की एफ.ओ.आर. आपूर्ति हेतु प्रति मै.टन की दरः–

दर रू. प्रति मै.टन

क्र. सं.	राजफैड क्षेत्रीय कार्यालय	जिला	बिलिंग दर (एफ.ओ.आर. समस्त कर सहित)
एमआरपी दर (सम्पूर्ण राजस्थान के लिये)			
1	अजमेर	अजमेर, ब्यावर, भीलवाडा, डीडवाना–कुचामन, नागौर	
2	भरतपुर	अलवर, धौलपुर, भरतपुर, डीग, करौली, खैरथल–तिजारा, सवाईमाधोपुर	
3	बीकानेर	बीकानेर, चूरू	
4	जयपुर	जयपुर, दौसा, टोंक, सीकर, कोटपूतली–बहरोड़, झुन्झुनूँ	
5	जोधपुर	जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी, बालोतरा	
6	कोटा	कोटा, बांरा, झालावाड़, बून्दी	
7	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़	
8	उदयपुर	उदयपुर, राजसमन्द, डूॅंगरपुर, बांसवाडा, चित्तौडगढ़, प्रतापगढ़, सलुम्बर	

1. ऑफ सीजन डिस्काउन्ट रू. प्रति मै.टन माहवार
2. राजफैड को देय अन्य छूट

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर मय मुहर

महाप्रबन्धक (कृषि आदान)
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय
विक्रय संघ लि जयपुर

(Cover-B)
(3)

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि0,
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर

फोन नं. 0141–2740081
फैक्स नं. 0141–2740457
E-mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

FINANICAL BID/BOQ

वर्ष 2024–25 (अनुबन्ध दिनांक से एक वर्ष के लिए) में राजफैड के माध्यम से राज्य की क्रय विक्रय सहकारी समितियॉ/ग्राम सेवा सहकारी समितियॉ को **सिंगल सुपर फॉस्फेट बोरोनेटेड (पाउडर)** की एफ.ओ.आर. आपूर्ति हेतु प्रति मै.टन की दरः–

दर रू. प्रति मै.टन

क्र. सं.	राजफैड क्षेत्रीय कार्यालय	जिला	बिलिंग दर (एफ.ओ.आर. समस्त कर सहित)
एमआरपी दर (सम्पूर्ण राजस्थान के लिये)			
1	अजमेर	अजमेर, ब्यावर, भीलवाडा, डीडवाना–कुचामन, नागौर	
2	भरतपुर	अलवर, धौलपुर, भरतपुर, डीग, करौली, खैरथल–तिजारा, सवाईमाधोपुर	
3	बीकानेर	बीकानेर, चूरू	
4	जयपुर	जयपुर, दौसा, टोंक, सीकर, कोटपूतली–बहरोड़, झुन्झुनूँ	
5	जोधपुर	जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी, बालोतरा	
6	कोटा	कोटा, बांरा, झालावाड़, बून्दी	
7	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़	
8	उदयपुर	उदयपुर, राजसमन्द, डूॅगरपुर, बांसवाडा, चित्तौडगढ़, प्रतापगढ़, सलुम्बर	

1. ऑफ सीजन डिस्काउन्ट रू. प्रति मै.टन माहवार
2. राजफैड को देय अन्य छूट

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर मय मुहर

महाप्रबन्धक (कृषि आदान)
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय
विक्रय संघ लि जयपुर

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि0,
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर

फोन नं. 0141–2740081
फैक्स नं. 0141–2740457
E-mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

FINANICAL BID/BOQ

वर्ष 2024–25 (अनुबन्ध दिनांक से एक वर्ष के लिए) में राजफैड के माध्यम से राज्य की क्रय विक्रय सहकारी समितियॉ/ग्राम सेवा सहकारी समितियॉ को सिंगल सुपर फॉस्फेट बोरोनेटेड (दानेदार) की एफ.ओ.आर. आपूर्ति हेतु प्रति मै.टन की दरः–

दर रू. प्रति मै.टन

क्र. सं.	राजफैड क्षेत्रीय कार्यालय	जिला	बिलिंग दर (एफ.ओ.आर. समस्त कर सहित)
एमआरपी दर (सम्पूर्ण राजस्थान के लिये)			
1	अजमेर	अजमेर, ब्यावर, भीलवाडा, डीडवाना–कुचामन, नागौर	
2	भरतपुर	अलवर, धौलपुर, भरतपुर, डीग, करौली, खैरथल–तिजारा, सवाईमाधोपुर	
3	बीकानेर	बीकानेर, चूरू	
4	जयपुर	जयपुर, दौसा, टोंक, सीकर, कोटपूतली–बहरोड़, झुन्झुनूँ	
5	जोधपुर	जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी, बालोतरा	
6	कोटा	कोटा, बांरा, झालावाड़, बून्दी	
7	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़	
8	उदयपुर	उदयपुर, राजसमन्द, डूॅगरपुर, बांसवाडा, चित्तौडगढ़, प्रतापगढ़, सलुम्बर	

1. ऑफ सीजन डिस्काउन्ट रू. प्रति मै.टन माहवार
2. राजफैड को देय अन्य छूट

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर मय मुहर

महाप्रबन्धक (कृषि आदान)
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय
विक्रय संघ लि जयपुर

(Cover-B)
(5)

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि0,
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर

फोन नं. 0141–2740081
फैक्स नं. 0141–2740457
E-mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

FINANICAL BID/BOQ

वर्ष 2024–25 (अनुबन्ध दिनांक से एक वर्ष के लिए) में राजफैड के माध्यम से राज्य की क्रय विक्रय सहकारी समितियॉ/ग्राम सेवा सहकारी समितियॉ को **सिंगल सुपर फॉस्फेट जिंकेटेड (पाउडर)** की एफ.ओ.आर. आपूर्ति हेतु प्रति मै.टन की दर :–

दर रू. प्रति मै.टन

क्र. सं.	राजफैड क्षेत्रीय कार्यालय	जिला	बिलिंग दर (एफ.ओ.आर. समस्त कर सहित)
एमआरपी दर (सम्पूर्ण राजस्थान के लिये)			
1	अजमेर	अजमेर, ब्यावर, भीलवाडा, डीडवाना–कुचामन, नागौर	
2	भरतपुर	अलवर, धौलपुर, भरतपुर, डीग, करौली, खैरथल–तिजारा, सवाईमाधोपुर	
3	बीकानेर	बीकानेर, चूरू	
4	जयपुर	जयपुर, दौसा, टोंक, सीकर, कोटपूतली–बहरोड़, झुन्झुनूँ	
5	जोधपुर	जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी, बालोतरा	
6	कोटा	कोटा, बांरा, झालावाड़, बून्दी	
7	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़	
8	उदयपुर	उदयपुर, राजसमन्द, डूॅगरपुर, बांसवाडा, चित्तौडगढ़, प्रतापगढ़, सलुम्बर	

1. ऑफ सीजन डिस्काउन्ट रू. प्रति मै.टन माहवार
2. राजफैड को देय अन्य छूट

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर मय मुहर

महाप्रबन्धक (कृषि आदान)
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय
विक्रय संघ लि जयपुर

(Cover-B)
(6)

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि0,
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर

फोन नं. 0141–2740081
फैक्स नं. 0141–2740457
E-mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

FINANICAL BID/BOQ

वर्ष 2024–25 (अनुबन्ध दिनांक से एक वर्ष के लिए) में राजफैड के माध्यम से राज्य की क्रय विक्रय सहकारी समितियॉ/ग्राम सेवा सहकारी समितियॉ को **सिंगल सुपर फॉस्फेट जिंकेटेड (दानेदार)** की एफ.ओ.आर. आपूर्ति हेतु प्रति मै.टन की दर :–

दर रू. प्रति मै.टन

क्र. सं.	राजफैड क्षेत्रीय कार्यालय	जिला	बिलिंग दर (एफ.ओ.आर. समस्त कर सहित)
एमआरपी दर (सम्पूर्ण राजस्थान के लिये)			
1	अजमेर	अजमेर, ब्यावर, भीलवाडा, डीडवाना–कुचामन, नागौर	
2	भरतपुर	अलवर, धौलपुर, भरतपुर, डीग, करौली, खैरथल–तिजारा, सवाईमाधोपुर	
3	बीकानेर	बीकानेर, चूरू	
4	जयपुर	जयपुर, दौसा, टोंक, सीकर, कोटपूतली–बहरोड़, झुन्झुनूँ	
5	जोधपुर	जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी, बालोतरा	
6	कोटा	कोटा, बांरा, झालावाड़, बून्दी	
7	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़	
8	उदयपुर	उदयपुर, राजसमन्द, डूॅगरपुर, बांसवाडा, चित्तौडगढ़, प्रतापगढ़, सलुम्बर	

1. ऑफ सीजन डिस्काउन्ट रू. प्रति मै.टन माहवार
2. राजफैड को देय अन्य छूट

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर मय मुहर

महाप्रबन्धक (कृषि आदान)
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय
विक्रय संघ लि जयपुर

(Cover-B)

(7)

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि0,
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर

फोन नं. 0141–2740081
फैक्स नं. 0141–2740457
E-mail: rajfed_agri.input@yahoo.com

FINANICAL BID/BOQ

वर्ष 2024–25 (अनुबन्ध दिनांक से एक वर्ष के लिए) में राजफैड के माध्यम से राज्य की क्रय विक्रय सहकारी समितियॉ/ग्राम सेवा सहकारी समितियॉ को **सिंगल सुपर फॉस्फेट जिंक बोरोन (दानेदार)** की एफ.ओ.आर. आपूर्ति हेतु प्रति मै.टन की दर :–

दर रू. प्रति मै.टन

क्र. सं.	राजफैड क्षेत्रीय कार्यालय	जिला	बिलिंग दर (एफ.ओ.आर. समस्त कर सहित)
एमआरपी दर (सम्पूर्ण राजस्थान के लिये)			
1	अजमेर	अजमेर, ब्यावर, भीलवाडा, डीडवाना–कुचामन, नागौर	
2	भरतपुर	अलवर, धौलपुर, भरतपुर, डीग, करौली, खैरथल–तिजारा, सवाईमाधोपुर	
3	बीकानेर	बीकानेर, चूरू	
4	जयपुर	जयपुर, दौसा, टोंक, सीकर, कोटपूतली–बहरोड़, झुन्झुनूँ	
5	जोधपुर	जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी, बालोतरा	
6	कोटा	कोटा, बांरा, झालावाड़, बून्दी	
7	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़	
8	उदयपुर	उदयपुर, राजसमन्द, डूॅगरपुर, बांसवाडा, चित्तौडगढ़, प्रतापगढ़, सलुम्बर	

1. ऑफ सीजन डिस्काउन्ट रू. प्रति मै.टन माहवार
2. राजफैड को देय अन्य छूट

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर मय मुहर

महाप्रबन्धक (कृषि आदान)
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय
विक्रय संघ लि जयपुर